MH/AB/82271

सहाय्यक भविष्य निधी आयुक्त का कार्यालय टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद - ४३१००३ OFFICE OF THE ASSISTANT PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Town Centre, Cidco, Aurangabad - 431003	2657 9HT (0-1)
The married and the Service of the Committee of the Commi	To subayou,
र्गः /महा./भ.नि./ प्रयोज्यता /	T sebrueren
No.MH/AB/APP 82271   CIVIST   2 60   STEATH THE Date   07/11	1/2006
सेवा में,	
To, Mls. R.S. Engineering Senties	10/10
I shree Kinshag Aph bokind	
The state of the s	
Osmeapure Aurengolod	
विषय ः कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपबन्ध अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी	प्रयोज्यता संकेत
संख्या का आबंटन ।	
Sub : Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Act. 1952 and the s	cheme frame
there-under-applicability thereof-Allotment of code number.	
महोदय, कार्य	
Sir,s	
१. आपकी फॅक्ट्री / स्थापना उसकी सभी शाखाएं और विभागों के साथ दिसे कर्मचारी भविष्य निधी ए	वं प्रकीर्ण उपलब्ध
अधिनियम, १९५२ और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है । उपलब्ध सूचनाओं के	
होता हैं कि :	STATE OF STATES
1. Your factory/ establishment with all its branches and departments is brought within the p	
Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act. 1952 and the scheme, frame	
with effect from	
(१) आपकी फॅक्ट्री अनुसूची १ में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिसपर अधिनिय	म की धारा १ (३)
के अधिन कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू होता है!	
(i) Your factory is engaged inone of the industries specified in Sched	
the Employees' Provident Funds and Miscelleneous Provisions Act. 1952 is applicable under	r Section 1 (3)
(a) of the Act.  े के लिए वर्गीकत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा १ (३) (बी	t) + are = 9
सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू, कि (ii) Yours is an establishment classified as. (iii) अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ लागू, कि	al El
and Miscellaneous Provisions Act. 1952 has been made applicable by the Government of India by	v a Notification
issued under Section 1(3) (b) of the Act.	
<ol> <li>आपकी फॅक्ट्री / स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची १ में उल्लिखीत उद्योग में तथा अधिनियम की धारा १ (३) (बी) ने अनु</li> </ol>	सार भारत सरकार
द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भृत नहीं हैं ! अतः आपकी स्थापना को अ-सूचिबध्द माना गया है ।	todinost
१-क) जांच पडताल / उपलब्ध सूचना के आधारपर व्याप्ति तत्कालिक स्वरुप की है, लेकीन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अविध	के प्रलेख सत्यापित
हो जाए !	has the house.
1-A) The Coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and	d is subject to
further verification of your records for prior periods.	at all states of
(१-ख) अधिनियम की धारा (१) (४) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, १९५२ के स्वैच्छिक	रुप से विस्तार के
सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं	
की धारा १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुओ भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक 3	भापकी स्थापना की
तत्कालिक रुप से दिसे, व्याप्ती करके उसके लिए, एमएच/यह संकेत संख्या निय	
(1-B) With reference to your application Nodatedreceived for extension	of Employees'
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 Under Section 1(4) of the Act on a vol	
code number is hereby allotted to your establishment namely MH/ABprovisio	
your establishment with effect frompending issue of a notification by the Gover . in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of seciton 1 of the Employees' Pr	
and Miscellaneous Provisions Act. 1952	o videnti unus

- १३. यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधी एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा १४-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिमूल्य के लिए उत्तरदायी होगी।
- 13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act. 1952.
- १४. इसके अतिक्ति देयता की अदायगी तथा विवरणियों की अ-प्रस्तुति के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा ।
- 14. Besides, Prosecution could also lie from non-payment of dues and for non-submission of returns.
- 94. इस कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते है तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते है।
- 15. An inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you my please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.
- 16. Previous Provident Fund accumulations. If any should be transferred in the form of cash within 10 days OR in the form of securities within 30 days.

श्री / श्रीमती	মান মান কামনিলি কবিল মানিদ বি
	भविष्य निधि निरीक्षक
	ABOVE FROM THE TOTAL PROPERTY.
	भवदिय, भवदिय,
	inner Manual Commence of the Section
	सहा. भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र, उपक्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद.
OF CER-IN-CO	The state of the s
	Provident Fund Inspector
	प्रकार के हैं के अपने के स्वारत के स्वारत के स्वारत के स्वारत के लिए के स्वारत के स्वारत के स्वारत के स्वारत क
Ple	ase acknowledge receipt of this communication.

Your's Faithuflly

Asst. Provident Fund Commissioner, Maharashtra, S.R.O. Aurangabad.